न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 27/2016

दायर दिनांक : 28.07.2016

आदेश दिनांक : 22.07.2019

श्री कालूसिंह पुत्र श्री डुंगरसिंह जाति रावत उम्र 62 वर्ष निवासी सदारण तहसील भीम जिला राजसमन्द

—प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. श्रीमान परियोजना अधिकारी एवं निदेशक क्षैत्रिय कार्यालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डी.सी.एम.अजमेर रोड जयपुर
3. श्री मान तहसीलदार भीम

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 के तहत भूमि संरचना का मुआवजा व ब्याज दिलाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री गोपाल आचार्य, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 03
3. अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 01.09.2014 को अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में पारित एवार्ड राजस्व ग्राम सदारण तहसील भीम में स्थित आराजी नम्बर 3658/1708 की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में चुनौती दी गई है ।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा नियमानुसार तत्समय राजस्व रेकार्ड में दर्ज खसरा संख्या 3658/1708 गैर मुमकीन आबादी अंकित है होटल स्वामित्व संबंधीत वैद्य प्रमाणित दस्तावेज प्रार्थी ने प्रस्तुत नहीं किये है। उक्त भूमि वाणिज्यिक के रूप न होकर खसरा नं0 1708 मिन अंकित है। धारा 3ए की प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 13.02.2013 मे भी राजस्व अभिलेख में अंकित किस्म अनुसार ही प्रकाशन हुआ है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नं0 3658/1708 वाणिज्यिक के रूप मे अंकित नहीं है। राजस्व अभिलेख मे दर्ज खातेदारान को नियमानुसार भूमि अवाप्ति का प्रतिफल प्रदान किया है। सरंचना संख्या बी—140 व बी—141 खसरा नं0 1708 मे स्थित है। खसरा नं0 3658/1708 मे होटल होने संबंधी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा निर्धारित अवधि मे कोई क्लेम पेश नहीं किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र अवधि पार होने से क्लेम पोषनीय नहीं है।

प्रार्थी द्वारा प्रकरण में सुनवाई के दौरान उक्त भूमि की मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर तहसीलदार, भीम द्वारा दिनांक-08.06.2017 को उक्त आराजी संख्या 3658/1708 की मौके एवं रेकार्ड की रिपोर्ट प्रेषित की गयी जो शामिल फाईल है। रिपोर्ट अपूर्ण होने से पुनः जांच रिपोर्ट तलब की गयी जो दिनांक 02.07.2018 को तहसीलदार, भीम द्वारा प्रेषित की गयी है। जो शामिल फाईल है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं एवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा उक्त एवार्ड अभिवृद्धि के लिये प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मुआवजा राशि प्रार्थी को वाणिज्यिक दर अनुसार भुगतान नहीं की गया है। तथा उक्त भूमि प्रार्थी की वाणिज्यिक उपयोग की होते हुए भी प्रार्थी को मुआवजा राशि वाणिज्यिक दर से भुगतान जारी नहीं किया गया है। प्रार्थी ने उक्त भूमि सक्षम अधिकारी तहसीलदार, भीम से वाणिज्यिक रूपान्तरण दिनांक 18.02.1992 को करवायी थी जिसकी आदेश की प्रति प्रार्थी द्वारा पेश की गयी है। तहसीलदार, भीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी यह प्रमाणित है कि उक्त भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरणशुदा होकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा मौके पर दो मंजिला कमरे निर्मित होकर मौके पर होटल है। संरचना का निर्माण 686 वर्गफीट तथा अवाप्तशुदा भूमि का रकबा 425 वर्गफीट है। इसलिए उक्त अवार्ड जो जारी हुआ है वह आबादी भूमि का ही जारी हुआ है संरचना का कोई मुआवजा तय नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थी को वाणिज्यिक दर से एवं संरचना का भुगतान किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

विपक्षी द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी को आबादी दर से ही भूमि का मुआवजा अदा किया गया है तथा प्रार्थी की भूमि अवाप्ति के समय जो किस्म रेकर्ड में आबादी दर्ज थी, उसी अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। प्रार्थी ने कोई आपत्ति एवं क्लेम आवेदन मुआवजा के संबंध में पेश नहीं किया है। मुआवजा का निर्धारण विधिनुसार सही किया गया है। गणना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। प्रार्थी की याचिका आधारहीन है अतः खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवार्ड पत्रावली से यह प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे जारी अवार्ड आबादी दर से जारी किया गया है तथा संरचना का कॉलम खाली है तथा संरचना का कोई भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह प्रमाणित है कि उक्त अवाप्तशुदा भूमि वर्ष 1992 मे ही वाणिज्यिक रूपान्तरण हो चुकी थी तथा इसकी पुष्ठी तहसीलदार, भीम के द्वारा प्रेषित मौका व रेकार्ड की रिपोर्ट से होती है। जबकि पत्रावली से यह प्रमाणित है कि उक्त मामले में प्रार्थी के पक्ष में जारी अवार्ड वाणिज्यिक दर से एवं संरचना की राशि का कोई अवार्ड आदेश पारित नहीं हुआ है। उक्त परिस्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार की जाकर विपक्षी सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी/अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द प्रतिप्रेषित इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अवाप्त शुदा भूमि वर्ष 1992 मे वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होने से वाणिज्यिक दर एवं संरचना के आधार पर निर्धारण करते हुए नियमानुसार संशोधित अवार्ड जारी कर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित करें।

आदेश की एक प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांक 22.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)